राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामप्रसाद बनाम रघुनाथ

तारीख हुक्म	1796/2025 — हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 12/01/2026 को पेश हो।	
12/01/2026	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 10/09/2025 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 29/09/2025 पारित करते हुए तहसीलदार चौमू को विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम मोरीजा, तहसील चौमू, पटवार हल्का मोरीजा-ए, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मोरीजा, जिला जयपुर में स्थित वर्तमान खाता संख्या 991 में स्थित खसरा नम्बर 969, 970 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.0207 हैक्टेयर, खाता संख्या 1042 में स्थित खसरा नम्बर 975, 976, 979, 980, 981, 982, 993, 994 कुल किता 08 का कुल रकबा 3.3647 हैक्टेयर, खाता संख्या 787 में स्थित खसरा नम्बर 257 रकबा 1.0705 हैक्टेयर का जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार सभी अनुसार सभी पक्षकारो के रहवास/मकानात एवं रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, कब्जे काश्त को प्राथमिकता देते हुये तकासमा किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 10/09/2025 एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 29/09/2025 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री व संशोधित निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुये अपीलाधीन प्राथमिक एवं संशोधित निर्णय व डिक्री पारित किये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है। सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर लम्बित रखा जाना उचित नही समझा जाता है। चूँकि विभाजन प्रस्ताव तैयार होने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी दौराने बहस जाहिर आपत्ति के दृष्टीगत होने पर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है एवं विधि अनुसार उसका अवसर अपीलार्थी के पास उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

रमेश कुमार मैनी
9785392397

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामप्रसाद बनाम रघुनाथ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपीलाधीन प्राथमिक एवं संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 10/09/2025 व 29/09/2025 में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये उसे यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर